

3839
19/11/14

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (74) वन/2014
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HoFF)
राजस्थान, जयपुर ।

जयपुर, दिनांक: 13 NOV 2014

PCCF (TREE)

18/11/14
कॉ.
3L
यौ.

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज0 जयपुर के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ.नं. 11-9/98-एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व 21.08.2014 एवं भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए ग्राम जालिया के खसरा नं. 291/158 जिला बाडमेर में स्थापित पेट्रोल पम्प पर आवागमन हेतु सम्पर्क सडक निर्माण हेतु 0.0360 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन की स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है :-


1. वनभूमि कर वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रस्तावनानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत कोई पेड़ नहीं काटे जावें।
3. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।
4. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
5. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को इस विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग को होंगे।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीवन (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।
7. यूजर एजेन्सी को प्रत्यावर्तित वनभूमि को नियमानुसार एन.पी.वी. राशि जमा करानी होगी।
8. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
9. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावे।
10. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

APCCF (FCA)
19/11

भवदीय,
Jag
(सी0एस0 रत्नासामी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्द्रिया पर्यावरण भवन, जोर बाघ रोड नई दिल्ली-110003
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
3. नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वनसुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृति की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावें।
4. प्रादेशिक प्राधिकार (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सालाबास, जोधपुर।
5. रक्षित।



11
शासन सचिव